न्यायालय सहायक कलक्टर(उपखण्ड़ अधिकारी),आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री डॉ. अंशु प्रिया, आई.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
डॉ.संजीव पुत्र अरूणचन्द्र, जाति शाह, निवासी हाल डी–904, आशावाड़ी टॉवर, वाईड एंगल सिनेमा के पीछे, एस.जी.हाईवे, सेटेलाई, अहमदाबाद। (प्रार्थी अधिवक्ता श्री जीतेन्द्र सुराणा)		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देलदर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व प्रार्थना संख्या 2/2025

दिनांक 17.10.2025

आदेश

यह कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा ग्राम ओरिया, तहसील देलदर में प्रार्थी डॉ. सजीव, श्रीमति पूर्णिमा पत्नि श्री संजीव, श्री विपुल शाह पुत्र मधुकरभाई शाह एवं पारूल वी. शाह पत्नि विपुल शाह के संयुक्त खातेदारी हक की निम्नलिखित भूमि स्थित है , जो वर्तमान जमाबंदी (खतोनी) संवत 2076 से 2079 के खाता संख्या 96 में दर्ज है :–

खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1623/934	0.1012	गै.मु. आबादी	
934/3	0.1897	बंजर	
कुल –2	0.2909		रू.0–30

कि उपरोक्त भूमि श्री जयराज पुत्र वामनराव देसाई , नि. अहमदाबाद से जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 07–12–1995 के द्वारा प्रार्थी व अन्य 3 व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से क्रय की थी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का 1/4 हिस्सा है। कि वर्तमान जमाबंदी की प्रति प्राप्त कर अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ है कि राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश उक्त भूमि की जमाबंदी में प्रार्थी व उसकी पत्नि श्रीमति पूर्णिमा का क्रमशः 1/4 हिस्सा व 1/4 हिस्सा के स्थान पर सेवन से वास्तविकता से अधिक 1/3 हिस्सा व 1/3 हिस्सा अंकित कर दिया है एवं श्री विपुल शाह पुत्र मधुकरभाई शाह व श्रीमति पारूल वी. शाह पत्नि श्री विपुल शाह का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा अंकित कर दिया है जबकि श्री विपुल शाह पुत्र मधुकरभाई शाह व श्रीमति पारूल वी. शाह पत्नि श्री विपुल शाह का भी प्रार्थी व उसकी पत्नि श्रीमति पूर्णिमा के समान क्रमशः 1/4 हिस्सा व 1/4 हिस्सा होना चाहिये।

कि राजस्व भू–अभिलेख में उपरोक्त संशोधन किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

हमने प्रकरण को दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये। स्टेट ने अपने जवाब में वर्तमान जमाबंदी के तथ्यों को ही दोहराया है। प्रार्थी [illegible] द्वारा पूर्णिमा वसा पत्नि श्री संजीव वसा, पारूल शाह पत्नि श्री विपुल [illegible] मधुकरभाई शाह ने शपथ पत्र पेश किया जिसमें अंकन है कि वर्तमान राजस्व [illegible] में हमारे हिस्से व नाम में विसंगति हो गयी है, जिसे संशोधित करवाने हेतु डॉ. संजीव पुत्र अरूणचन्द्र के द्वारा श्रीमान न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे स्वीकार [illegible] हुये राजस्व भू–अभिलेख [illegible] संशोधित किया जाता है तो हमारी सहमति व स्वीकृति है एवं कोई ऐतराज नही है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2025.12.12 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आबूपर्वत

दिनांक 07 दिसम्बर 1995 में केता का नाम श्री डॉक्टर संजीव पुत्र अरूणचन्द्र वसा एवं डॉक्टर पूर्णिमा पत्नि संजीव वसा, निवासी 4 , कैलाश सोसायटी , बी. एच.के. हाउस, आश्रम रोड़, अहमदाबाद – 380009 एवं श्री विपुल एम. शाह एवं पारूल वी. शाह, निवासी 5/बी जैन सोसायटी , अपोजीट प्रीतमनगर अखाड़ा, ऐलीस ब्रीज, अहमदाबाद 380006 है तथा जमाबंदी 2068–2071 के अनुसार खसरा संख्या 934/3 व 1623/934 में काश्तकार का नाम डॉ. संजीव पुत्र अरूणचन्द्र वसा एवं डा.(मिसेज) पूर्णिमा पत्नि संजीव वसा , निवासी 4 कैलाश सोसायटी बी.एच.के. हाऊस आश्रम रोड़ अहमदाबाद 380009 एवं श्री विपुल एम. शाह एवं पारूल बी. शाह निवासी 5/बी.जैन सोसायटी अपोजीट प्रीतमनगर अखाड़ा एलीस ब्रीज अहमदाबाद 380006 दर्ज है। प्रार्थी अधिवक्ता ने फॉर्म नंबर 3 के साथ वसा सजीव, विपुल शाह, पारूल शाह व वसा पूर्णिमा के आधार कॉर्ड की प्रति पेश की है। सहखातेदारो की सहमति व स्वीकृति का शपथ प्रार्थी अधिवक्ता पेश किया गया है।

अतः ग्राम ओरिया के जमाबंदी के खाता संख्या 96 खसरा संख्या 1623/934 व 934/3 रकबा क्रमशः 0.1012 हैक्टेयर व 0.1897 हैक्टेयर किस्म क्रमशः गै.मु. आबादी व बंजर में डॉ. सजीव पुत्र अरूणचन्द्र , श्रीमति पूर्णिमा पत्नि संजीव, श्री विपुल शाह पुत्र मधुकरभाई शाह एवं श्रीमति पारूल वी. शाह पत्नि श्री विपुल शाह चारो का एक समान अर्थात प्रत्येक का 1/4 हिस्सा दर्ज किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है तथा जमांबदी ग्राम ओरिया के खाता संख्या 96 खसरा संख्या 1623/934 व 934/3 रकबा क्रमशः 0.1012 हैक्टेयर व 0.1897 हैक्टेयर किस्म क्रमशः गै.मु. आबादी व बंजर में डॉ. संजीव पुत्र अरूणचन्द्र , श्रीमति पूर्णिमा पत्नि संजीव, श्री विपुल शाह पुत्र मधुकरभाई शाह एवं श्रीमति पारूल वी. शाह पत्नि श्री विपुल शाह चारो का एक समान अर्थात प्रत्येक का 1/4 हिस्सा दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार इन्द्राज किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 17/10/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. अंशु प्रिया) I.A.S.
सहायक कलक्टर
आबूपर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2025.12.12 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested